सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

<u>अपील संख्या 334 / 16</u> निर्णय दिनांकः 8/01/2018

1. दौलतराम पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी सतासर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 11—8—2008
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़, मु. बज्जू

<u>उपस्थितिः—</u>

1. श्री मोहनलाल गोदारा, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बज्जू के आदेश दिनांक 11—08—2008 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने सबूतों के अभाव में खारिज किया गया है के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा बतौर विशेष आवंटन के तहत चक 9 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 163/60 के लिए आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र बिना नोटिस दिये व बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकतरफा तौर पर यह कथन करते हुए खारिज कर दिया गया कि आवेदन पत्र के साथ वांछित सबूत यथा भूमि तस्दीक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं की गई है अतः अपीलांट काआवंटन प्रार्थना खारिज किया जाता है। जो निरस्त योग्य है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र के समय ही वांछित सबूत प्रस्तुत कर दिये गये थे तथा शेष सबूत नोटिस आने पर जमा करवाने हेतु तैयार था। अपीलांट को किसी प्रकार भी कोई नोटिस तामील विधिवत नहीं हुई है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11–08–2008 के विरूद्व अपील दिनांक 19–09–17 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 11–08–2008 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 19–09–2017 को पेश की गई है। अपील

के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट ने विशेष आवंटन के तहत चक 9 बी. एस. एम. के मुरब्बा नम्बर 163/60 के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट को वादगत् भूमि के आवंटन हेतु आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ वांछित सबूत यथा भूमि तस्दीक/सद्भावत कृषक प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत करना अपरिहार्य था।

(3) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन प्रार्थना पत्र को आवंटन सलाहकार समिति की के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 11–08–2008 को अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर विचार कर आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांट के प्रार्थना पत्र के साथ वांछित सबूत जो कि आवंटन हेतु अनिवार्य थे के अभाव में अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।

(4) हमने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11–08–2008 का अवलोकन किया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र वांछित सबूतों के अभाव में खारिज किया गया है। उक्त सबूत आवंटन प्रार्थना पत्र के समय ही प्रस्तुत किये जाने अपरिहार्य थे। जैसा कि अपीलांट द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र के समय नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो विधि सम्मत है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 11–08–2008 बहाल रखा जता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर